International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 8 Issue 5 Ser. 1 || May 2019 || PP 79-83

मुस्लिम समाज में विवाह एवं तलाक का अधिकार

हेमन्त कुमार , सहायक आचार्य ,
राजकीय विधि महाविद्यालय ,
अलवर , राजस्थान , 301001

शोध पत्र सारांश

लगभग सभी प्राचीन राष्ट्रों में विवाह विच्छेद दांपत्य अधिकारों का स्वाभाविक परिणाम समझा जाता है। रोम वासियों, यहूदियों, इसरायली आदि सभी लोगों में विवाह विच्छेद किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा है। इस्लाम आने के पहले तक पति को विवाह विच्छेद के असीमित अधिकार प्राप्त थे। मुस्लिम विधि में तलाक को स्थान दिया गया है परंतु स्थान देने के साथ ही तलाक को घृणित भी माना गया है। पैगंबर साहब का कथन है कि जो मनमानी रीति से पत्नी को अस्वीकार करता है, वह खुदा के शाप का पात्र होगा। पैगम्बर के निकट मनमाना तलाक अत्यंत बुरे कार्यों में से एक है। सभी अपराधों का संज्ञेय और गैर जमानती होना मुस्लिम विधि में तलाक देने का अधिकार पुरुष के पास है, परंतु मुस्लिम स्त्री को भी तलाक मांगने का अधिकार है, वह न्यायालय में जाकर अपने विवाह को विघटित करवाने हेतु पति से तलाक मांग सकती है। इस लेख के माध्यम से एक मुस्लिम स्त्री के तलाक मांगने के अधिकारों पर चर्चा की गई है कोई मुस्लिम पुरुष किसी मुस्लिम स्त्री को आकारण भी तलाक देने का अधिकार रखता है। मुस्लिम विवाह में तलाक यदि पुरुष का अधिकार है तो 'मेहर' स्त्री का अधिकार है, परंतु इतना होने के बाद भी शरीयत के विधान के अधीन भारतीय संसद का बनाया हुआ कानून एक भारतीय मुस्लिम स्त्री को अपने पति से तलाक मांगने का अधिकार देता है। तलाक ए ताफवीज़ ताफ़वीज़ का अर्थ होता है– प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का अर्थ यह है कि कोई भी मुस्लिम पुरुष किसी शर्त के अधीन अपने तलाक दिए जाने के अधिकार को मुस्लिम स्त्री को प्रत्यायोजित कर सकता है। अपना तलाक देने का अधिकार व मुस्लिम स्त्री को सौंप सकता है। बफातन बनाम शेख मेमूना बीवी ए आई आर (1995) कोलकाता (304)के मामले में पति पत्नी के बीच में करार किया गया कि यदि उनके बीच में असहमति होती है तो पत्नी को अलग रहने का अधिकार होगा और पति भरण पोषण देने के लिए बाध्य होगा। निर्णीत किया गया कि यदि पति अपनी पत्नी के भरण पोषण प्रदान करने में असमर्थ होता है तो पत्नी विवाह विच्छेद प्राप्त करने की हकदार होगी। इस पर यह भी कहा गया कि इस प्रकार का करार सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं था अधिनियम मुस्लिम महिलाओं की मौजूदा स्थितियों में सुधार करेगा और उन्हें घरेलू हिंसा और समाज में उनके साथ होने वाले भेदभाव से बाहर आने में मदद करेगा अतः प्रस्तुत शोध पत्र में मुस्लिम विवाह व तलाक के अधिकार का अध्ययन किया गया है ।

प्रमुख बिन्दु :– मुस्लिम विवाह , तलाक की प्रकिया , तलाक की उचित प्रकिया , तीन तलाक , विधायी सुधार , न्यायालय का निर्णय , कारावास का प्रावधान एवं निष्कर्ष ।

मुस्लिम विवाह :–

मुस्लिम विवाह(निकाह) मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के तहत होता है । शिया और सुन्नी समुदायों के लिए कई प्रावधान अलग–अलग हैं । मुस्लिम विवाह में यह जरुरी है कि एक पक्ष विवाह का प्रस्ताव रखे और दूसरा उसे स्वीकार करे।(इजब व कबूल)प्रस्ताव और स्वीकृति लिखित और मौखिक दोनों दी जा सकती है ।हनफी विचारधारा के मुताबिक सुन्नी मुस्लिमों में दो मुसलमान गवाहों(दो पुरुष या एक पुरुष और दो महिलाएं) की मौजूदगी में होना जरुरी है ।मुस्लिम विवाह की वैधता के लिए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है ।कोई पुरुष अथवा महिला 15 वर्ष की उम्र होने पर विवाह कर सकते हैं ।15 साल से कम उम्र का पुरुष या महिला निकाह नहीं कर सकते हैं हालांकि उसका अभिभावक (पिता या दादा अथवा पिता का रिश्तेदार, ऐसा संभव नहीं होने पर मां या मां के पक्ष का रिश्तेदार) उसकी शादी करा सकता है । लेकिन बाल विवाह होने की वजह से यह कानूनी रुप से दंडनीय है।लड़की का निकाह यदि 15 साल से कम उम्र में उसके पिता अथवा दादा के अलावा अन्य किसी ने काराया हो तो वह उस निकाह से इनकार कर सकती है लेकिन इसके बाद उसके पति के साथ संभोग नहीं हुआ है ।

सुन्नी मुसलमान पुरुष का दूसरे धर्म की महिला से विवाह पर पाबंदी है । लेकिन सुन्नी पुरुष यहूदी अथवा ईसाई महिला से विवाह कर सकता है ।मुसलमान महिला गैर मुसलमान से निकाह नहीं कर सकती ।शिया मुसलमान गैर– मुस्लिम महिला से अस्थाई ढंग से विवाह कर सकता है । जिसे मुक्ता कहते हैं ।शिया महिला गैर मुसलमान पुरुष से किसी भी ढंग से विवाह नहीं कर सकती है ।वर्जित नजदीकी रिश्तों में निकाह नहीं हो सकता है । मुस्लिम पुरुष अपनी मां या दादी से , अपनी बेटी या पोती से , अपनी बहन से , अपनी भांजी,भतीजी या भाई अथवा पोती या नातिन से , अपनी बुआ या चाची या पिता की बुआ चाची से , मुंह बोली मां या बेटी से , अपनी पत्नी के पूर्वज या वंश से शादी नहीं कर सकता है ।कुछ शर्तें पूरी नहीं होने पर मुस्लिम विवाह अनियमित माना जाता है । इसे बाद में नियमित अथवा समाप्त किया जा सकता है पर यह अपने आप रद्द नहीं हो जाता है ।

विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत मुसलमान व गैर मुसलमान में विवाह हो सकता है ।एक मुसलमान की चार पत्नियां हो सकती हैं । यह कानूनी स्थिति है। साथ ही धार्मिक आदेश है कि पति को सभी पत्नियों के साथ एक सा व्यवहार करना होगा और यदि यह संभव नहीं है तो उसे एक से अधिक पत्नी नहीं रखनी चाहिए।मुसलमान महिला के एक से अधिक पति नहीं हो सकते हैं ।चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह संपन्न कराना अपराध है , इस निषेध के भंग होने का विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं है।

मुस्लिम समाज में तलाक की प्रकिया :–

मुस्लिम समाज मे तलाक देने की विधियां निम्नलिखित हैं ।

1. तलाक–ए–सुन्ना(मान्य विधि) :–

अहसन पद्धति में पति दो ऋतुकालों (माहवारी के बीच) की अवधि तुहर के बीच एक बार तलाक देता है और इद्दत (तलाक के बाद के करीब तीन महीनों की अवधि) में पत्नी से संभोग भी नहीं करता, तो इद्दत की अवधि खत्म होने पर तलाक हो जाता है ।हसन पद्धति में पति तीन तुहरों के दौरान तीन बार तलाक देने के अपने इरादे की घोषणा करता है और पत्नी से संभोग भी नहीं करता , तीसरी बार तलाक कहने पर विवाह विच्छेद हो जाता है ।

2. तलाक–उल–बिद्दत(अमान्य विधि) :–

तलाक– उल– बिद्धत में पति एक ही तुहर में एक वाक्य कहता है कि मैं तुम्हें तीन बार तलाक देता हूं या तीन बार (तीन बार मैं तुम्हें तलाक देता हूं) अलग–अलग भी कह सकता है ।अगर पति–पत्नी दोनों एक–दूसरे को तलाक देने को राजी हो जाएं , तो वह तलाक मान्य होगा। ऐसे तलाक के लिए दो शर्तें पूरी होनी जरुरी हैं दृ पहला दोनों तलाक के लिए राजी हों और दूसरा धन या जाएदाद के रुप में पत्नी को कुछ जरुर दें ।मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर उससे तलाक ले सकता है जबकि शिया कानून में तलाक दो गवाहों की मौजूदगी में कहा जाना चाहिए।मुस्लिम पुरुष तलाकनामा लिखकर भी पत्नी को तलाक दे सकता है ।मुस्लिम पुरुष अदालत में मुकदमा दर्ज करके भी तलाक हासिल कर सकता है ।रचनात्मक तलाक–'इला' में पति कम से कम चार महीनों तक शारीरिक संभोग न करने की शपथ लेता है और जब शपथ पूरी हो जाती है तो इसे तलाक माना जाता है ।रचनात्मक तलाक–'जिहर' में पति पत्नी की तुलना विवाह के लिए वर्जित श्रेणी की किसी स्त्री से करता है (जैसे पत्नी की तुलना मां से करना) पति की ऐसी उद्घोषणा के बाद , पत्नी को अदालती तलाक का हक मिल जाता है , अगर वह प्रायश्चित नहीं करता है ।मुसलामान पुरुष द्वारा धर्म बदलते ही उसकी पिछली शादी तुरंत समाप्त हो जाती है ।यदि तीन बार तलाक कहने से तलाक हुआ हो तो पति उसी महिला से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता जब तक वह महिला किसी दूसरे पुरुष विवाह न करे और वह दूसरा पुरुष उस महिला को तलाक न दे या मर न जाए।मुस्लिम पत्नी पति की रजामंदी से तलाक हासिल कर सकती है ।मुस्लिम पत्नी कुछ प्रतिफल के बदले भी तलाक हासिल कर सकती है ।भविष्य में किसी घटना के होने या न होने की स्थिति में भी दंपति तलाक के लिए रजामंद हो सकते हैं ।खुला' (पत्नी की ओर से तलाक) के द्वारा मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है , इसके लिए शर्त यह है कि पत्नी को पति से जो मेहर (इवद) मिली है वह उसे लौटा दे ।'मुबारात' पति या पत्नी की ओर से तलाक दिया जा सकता है । डिस्योलूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत मुस्लिम पत्नी किसी भी उचित न्यायालय में तलाक के लिए पति पर मुकदमा चला सकती है ।

3. मुस्लिम विवाह –विच्छेद अधिनियम 1939 :–

मुस्लिम विवाह –विच्छेद अधिनियम 1939 के मुताबिक मुसलमान पत्नी नौ वजहों से अपने पति को तलाक दे सकती है।

- ★ यदि उसका पति चार साल से लापता हो,
- ★ दो साल से उसका भरण पोषण नहीं कर रहा हो,
- ★ सात साल से जेल की सजा काट रहा हो,
- ★ तीन साल से वैवाहिक दायित्व नहीं निभा रहा हो,
- ★ नपुंसक हो,
- ★ पागल हो,
- ★ कुष्ठ रोग या रतिजन्य रोगों से ग्रस्त हो,
- ★ क्रूरता का व्यवहार करता हो
- ★ नाबालिग (पंद्रह साल से कम उम्र) अवस्था में शादीशुदा स्त्री बालिग होने पर शादी को अस्वीकार कर दे
- ★ मुस्लिम कानून के तहत पत्नी को सुलभ अन्य आधार।मुस्लिम महिला के धर्म बदलने से उसका विवाह समाप्त नहीं होता है ।तलाक के बाद पति या पत्नी दूसरा विवाह कर सकते हैं।

तलाक के बाद भरण–पोषण :–

तलाक के बाद , मुस्लिम कानून के तहत पति को पत्नी की इद्दत के समय तक उसका भरण–पोषण करना होता है।

क्या उचित है तलाक की यह प्रक्रिया :–

क्या महज तीन बार तलाक शब्द के उच्चारण के साथ ही जीवनभर का बंधन टूट जाता है? क्या इस्लाम में महिलाओं का दर्जा दोयम है? शायद इसीलिए पुरुष को तो मनमानी का अधिकार है और महिलाओं का जीवन और भविष्य उनकी जुबान से तीन बार निकलने वाले इस कड़वे शब्द पर ही निर्भर है। जब सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में इस पर पाबंदी लगा दी गई है तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इसे जारी रखने की क्या तुक है ।

इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट की तकरार के बाद पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर इलाके में भी उक्त सवालों पर बहस शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर मुस्लिम समाज बंटता नजर आ रहा है। ज्यादातर मौलाना, उलेमा और अल्पसंख्यक संगठन तीन बार बोल कर तलाक देने की प्रथा को जारी रखने के पक्ष में हैं तो महिलाएं और उनके हितों के लिए काम करने वाले संगठन इस प्रथा को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए इसके खात्मे के पक्ष में।

यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि जम्मू–कश्मीर के बाद मुस्लिमों की आबादी के मामले में असम और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। असम की आबादी में लगभग 34 फीसदी मुस्लिम हैं तो बंगाल में 30 फीसदी। एक गैर–सरकारी संगठन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की ओर से हाल में किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस तबके की 92.1 फीसदी महिलाएं तीन बार बोल कर तलाक की इस प्रथा पर पाबंदी के पक्ष में हैं। देश के 10 राज्यों में किए गए इस अध्ययन में शामिल ज्यादातर महिलाएं आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े तबके की थी। उनमें से लगभग आधी महिलाओं का विवाह 18 साल की उम्र से पहले हो गया था और उनको घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा था। इस अध्ययन में महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी शामिल थीं। अब तो ईमेल, स्काईप, मोबाइल मैसेज और व्हाट्सऐप जैसे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोई भी पति तीन बार तलाक लिख कर अपनी पत्नी से नाता तोड़ सकता है।

तीन तलाक क्या है :–

तलाक –ए–बिद्दत या ट्रिपल तलाक तलाक का एक रूप है जो इस्लाम में प्रचलित था, जिसके तहत एक मुस्लिम व्यक्ति तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। पुरुष को तलाक के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है और तलाक के उच्चारण के समय पत्नी को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

तीन तलाक पर रोक लगाने की मांग :–

तीन तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाने की मुस्लिम महिलाओं की लंबे समय से मांग थी।

उत्तराखंड की एक महिला शायरा बानो, जिसे दहेज की मांग पूरी नहीं करने के लिए उसके पति और उसके परिवार द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, को उसके पति ने एक पत्र के माध्यम से तत्काल तीन तलाक़ दे दिया, जिससे उनकी 14 साल की शादी समाप्त हो गई। उनके पति ने भी उन्हें अपने दो बच्चों की कस्टडी से इनकार कर दिया।

शायरा बानो ने इस प्रथा को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि उक्त प्रथा भेदभावपूर्ण है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला :–

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि तलाक की उक्त प्रथा स्पष्ट रूप से मनमानी है, इस अर्थ में कि, विवाह को बचाने के लिए सुलह के प्रयास के बिना एक मुस्लिम पति द्वारा वैवाहिक बंधन को मनमौजी और सनक से तोड़ा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त, 2017 को दिए गए बहुमत के फैसले में एक बार में तीन तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए तलाक की प्रथा को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार द्वारा अपनाई गई स्थिति की पुष्टि की कि तलाक–ए–बिद्दत संवैधानिक नैतिकता, महिलाओं की गरिमा और लैंगिक समानता के सिद्धांतों और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत लैंगिक समानता के खिलाफ भी है।

सुधार की मांग :–

सुप्रीम कोर्ट के इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने के आदेश के बाद भी तीन तलाक की प्रथा जारी रही।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से, यानी 22 अगस्त, 2017 से संसद में बिल पेश करने तक, यानी 28 दिसंबर, 2017 तक, देश में तीन तलाक के उच्चारण के लगभग 100 मामले सामने आए।

चूंकि 'ट्रिपल तलाक' का अभ्यास जारी रखने वालों को दंडित करने और ऐसी प्रथा के पीड़ितों को कानूनी उपचार प्रदान करने के लिए कोई कानून नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में सरकार की प्रतिबद्धता। नरेंद्र मोदी, मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय, लैंगिक गरिमा और लैंगिक समानता देना इस सुधार के पीछे एक प्रमुख पहल थी।

विधायी सुधार :–

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 को 19 सितंबर, 2018 को प्रख्यापित किया गया और उसके बाद दो और अध्यादेश जारी किए गए।

लोकसभा ने 25 जुलाई, 2019 को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया और राज्य सभा ने भी इसे 30 जुलाई, 2019 को पारित किया। भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद, मुस्लिम महिला (संरक्षण) विवाह पर अधिकार) अधिनियम, 2019, 19 सितंबर, 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू हुआ, जो 19 सितंबर, 2018 को प्रख्यापित पहले अध्यादेश को जारी रखता है।

कारावास के लिए अधिनियम और प्रावधान :–

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 तीन बार तलाक़ बोलकर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। यह 3 साल तक की कैद और एक बार में तीन तलाक देने वाले पति को जुर्माने का प्रावधान करता है।

मुस्लिम महिला, जिस पर तलाक का उच्चारण किया गया था, को भी बच्चों की कस्टडी और पति द्वारा भुगतान किए जाने वाले निर्वाह भत्ते की अनुमति दी गई थी।

मुस्लिम महिलाओं को अब तीन तलाक के सनकी और तर्कहीन उच्चारण के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

यह अधिनियम उन पतियों के लिए भी निवारक के रूप में काम करता है जो अपनी पत्नियों को इस तरह से तलाक देना चाहते हैं ।

लाभ की मात्रा :–

राज्य पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न स्रोतों से, कई मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के विधायी हस्तक्षेप के कारण तीन तलाक के मामलों में काफी कमी आई है।

गुणात्मक परिवर्तन :–

अधिनियम मुस्लिम महिलाओं की मौजूदा स्थितियों में सुधार करेगा और उन्हें घरेलू हिंसा और समाज में उनके साथ होने वाले भेदभाव से बाहर आने में मदद करेगा।

निष्कर्ष :–

अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों को लेकर संघर्ष नए प्रतिनिधि निकाय बनाकर सबसे अच्छे तरीके से निपटा जाता है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान है कि महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो शाह बानो मामले में, इसका मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुस्लिम समुदाय के वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने के बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रशासन करने के लिए एक नया तंत्र बनाना होगा। एक नया तंत्र बनाना भारत में मुसलमानों की राजनीतिक वास्तविकता के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो यह है कि वे महत्वपूर्ण मतभेदों की विशेषता वाले व्यापक रूप से बिखरे हुए समूहों से मिलकर बने होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ प्रावधान किए जाएंगे कि मुस्लिम महिलाओं के पास उन संस्थानों तक कुछ पहुंच हो जो नियम बताते हैं जो उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं। ट्रिपल

तालक के उन्मूलन ने महिला सशक्तिकरण में योगदान दिया है और उन्हें समाज में सम्मान दिया है। सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून लाकर देश की मुस्लिम महिलाओं के "आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास" को मजबूत किया है और उनके संवैधानिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है। अधिनियम पारित होने के एक वर्ष के भीतर तीन तलाक के मामलों में 82þ की गिरावट आई है ।

सन्दर्भ सूची :–

1ण अहमद, अकबर एस , डिस्कवरिंग इस्लामः मैकिंग सेंस ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री एंड सोसाइटी , न्यूयॉर्कः रूटलेज और कंगन पॉल ड्रंक, 1988.

2ण ब्रास, पॉल आर. जातीयता और राष्ट्रवाद सिद्धांत और तुलना , नई दिल्लीः ऋषि प्रकाशन, 1991

3ण भारत में भाषा, धर्म और राजनीति । लंदनः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1974

4ण आजादी के बाद से भारत की राजनीति कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1991

5ण ब्रायइन, लिन और सिल्विया चॅट तीसरी दुनिया में महिलाएं। लंदनः एडवर्ड एल्गर पब्लिशिंग लिमिटेड, 1991

6ण बुमिलर, एलिजाबेथ में यू यू बी द मदर ऑफ ए हेड संसः ए जर्नी एज जर्नी इन इंडिया ऑफ द विमेन नई दिल्लीः पेंगुइन बुक्स इंडिया, 1990

7ण कैरोल, लुसी , "दक्षिण एशिया में मुस्लिम परिवार कानूनः पत्नियों और पूर्व पत्नियों के रखरखाव के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय

8ण भारत में महिला और समाज दिल्लीः अजंता प्रकाशन, 1987 एवरेट, जनाना एम वुमन एंड सोशल चेंज इन इंडिया न्यूयॉर्कः सेंट मार्टिन प्रेस, 1979

9ण इंजीनियर, असगर अली (एडा) द शाह बानो विवाद हैदराबाद, भारतः ओरिएंट लॉन्गमैन, 1987

10ण मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, ।